

उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग-5
संख्या-512 / वि०अनु०-५ / स्टाम्प / 2002
देहरादूनःदिनांक 28 अक्टूबर, 2002
अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं०-०५ सन् 2002) की धारा 1, की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दि० 23.10.2002 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब उक्त अध्यादेश प्रस्तुत होगा।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
सचिव।

सं०-५१२ / वि०अनु०-५ / स्टाम्प / २००२ तददिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी सूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशन राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे आगामी 2002 के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में अवश्य प्रकाशित करा दें। तत्पश्चात के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)
अपर सचिव।

संख्या-२८(१) / वि०अनु०-५ / स्टाम्प / २००१ तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उत्तरांचल, देहरादून को भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं०-५ वर्ष 2002) के सम्बन्ध में विधायी विभाग द्वारा जारी अध्यादेश सं०-०५ सन् 2002 की प्रति संलग्न करते हुये इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को प्रति सहित आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल, कुमायू।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)
अपर सचिव।